

निविदा सूचना

कु0म0वि0नि0लि0 नैनीताल में पंजीकृत सिविल भवन सम्बन्धी कार्य करने वाले ठेकेदारों से बन्द लिफाफे में निविदा दिनांक 19.07.2021 को अपरान्हन 1.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में आमंत्रित की जाती हैं, जो उसी दिन 2.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के सम्मुख गठित समिति द्वारा खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 06.07.2021 से दिनांक 17.07.2021 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में निर्धारित शुल्क (जी0एस0टी0 सहित) जमाकर प्राप्त की जा सकती है। निविदा सम्बन्धी समस्त जानकारी निगम में किसी भी कार्य दिवस में निगम कार्यालय में देखी जा सकती है, तथा निविदा में किसी भी प्रकार का संसोधन भी निगम वेबसाईड के माध्यम से ही किया जायेगा।

क्र.सं.	कार्य का नाम	निविदा प्रपत्र का मूल्य	धरोहर राशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा की वैधता	श्रेणी (भवन)
निर्माण खण्ड						
1.	तहसील धारचूला के अन्तर्गत भोटिया पड़ाव में बहुउद्देशीय मंच की मरम्मत एवं चेजिंग रूम तथा शौचालय का निर्माण कार्य।	2360.00	धरोहर धनराशि के स्थान पर निविदादाता द्वारा Bid Security Declaration संलग्न करना अनिवार्य है।	03 माह	01 माह	'बी' एवं उच्चतर
2.	पर्यटक आवास गृह, धारचूला में मरम्तीकरण, रंग-रोगन एवं अन्य कार्य।	1180.00	-----तदैव-----	01 माह	01 माह	'डी' एवं उच्चतर
3.	अकादमी परिसर, नैनीताल में आर्टिफिशियल वॉल के निर्माण हेतु फाउन्डेशन का कार्य।	1180.00	-----तदैव-----	02 माह	02 माह	'डी' एवं उच्चतर
4.	नगर पालिका, नैनीताल के अन्तर्गत टिफिन टॉप का पर्यटन की दृष्टि से विकास।	1180.00	-----तदैव-----	03 माह	01 माह	'डी' एवं उच्चतर
5.	नगर पालिका, नैनीताल स्थित पाइन्स में बैडमेन्टिन कोर्ट का निर्माण एवं लैंड स्केपिंग।	1180.00	-----तदैव-----	03 माह	01 माह	'डी' एवं उच्चतर
6.	श्री पूर्णागिरी धाम के दुन्यास में पूर्व निर्मित क्षतिग्रस्त शौचालय का ध्वस्तीकरण कर हाई-टैक सुलभग शौचालय का निर्माण कार्य।	1180.00	-----तदैव-----	02 माह	01 माह	'सी' एवं उच्चतर
7.	नई दिल्ली (बाराखम्मा) में स्थित उत्तराखण्ड पर्यटन कार्यालय में नवीनीकरण एवं उच्चीकरण का कार्य।	1770.00	-----तदैव-----	06 माह	01 माह	'सी' एवं उच्चतर
8.	निगम मुख्यालय भवन ओक पार्क हाउस मल्लीताल, नैनीताल में लिफ्ट स्थापित करने का कार्य।	1180.00	-----तदैव-----	02 माह	01 माह	तिरप लगाये जाने का न्यूनतम 03 पत्रों का अनुमान।
9.	निगम मुख्यालय भवन ओक पार्क हाउस मल्लीताल, नैनीताल में 82.50 कौवी0ए0 जनरेटर सप्लाय का कार्य।	1180.00	-----तदैव-----	01 माह	01 माह	अधिकृत प्रमाण पत्र
निर्माण खण्ड (ई निविदा)						
10.	नगर पंचायत भीमताल के अन्तर्गत आन्तरिक मार्गों का बेरीब्लोसम के रूप में विकास।	उक्त से सम्बन्धित सूचना www.uktenders.gov.in में देखी जा सकती है।				
11.	श्री पूर्णागिरी धाम के 100 मी0 अवशेष मार्ग में टार्गल, पेग्रजल टैंक, प्यारु एवं शैड का निर्माण।	उक्त से सम्बन्धित सूचना www.uktenders.gov.in में देखी जा सकती है।				
12.	एबट-माउन्ट एप्रोच मार्ग का सुदृढीकरण का कार्य।	उक्त से सम्बन्धित सूचना www.uktenders.gov.in में देखी जा सकती है।				

शर्तों- किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय एवं www.kmyn.in में देखी जा सकती है। यदि उपरोक्त पर कोई संसोधन किया जाता है तो उसकी सूचना केवल निगम की वेबसाईड के माध्यम से प्रदर्शित की जायेगी। निविदादाता को निम्न शर्तों का पालन करना अनिवार्य है।

- 1-निविदा केवल निगम में पंजीकृत ठेकेदारों (मद संख्या (7) (8) (9) को छोड़ते हुए) को ही विक्रय की जायेगी तथा उनके द्वारा निविदा प्रपत्र कय करने से पूर्व पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 2-मद संख्या (7) में निविदा शासकीय विभागों में पंजीकृत ठेकेदारों को आमंत्रित की जाती है, जिसमें सम्बन्धित विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। अन्य शर्तें लागू रहेंगी।
- 3-निविदादाता द्वारा सम्बन्धित कार्य की धरोहर धनराशि के स्थान पर Bid Security Declaration संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 4-निविदादाता द्वारा जी0एस0टी0, PAN NO तथा आयकर, पंजीकृत प्रमाण पत्र की छाया प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- 5-निविदा के साथ रु0 100.00 का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मय हस्ताक्षरयुक्त रु0 1.00 का रेवेन्यू टिकट के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
- 6-अपूर्ण, सशर्त एवं सदिग्ध निविदा किसी दशा में मान्य नहीं होगी।
- 7-निविदा में मात्राएँ घटाई एवं बढ़ाई जा सकती हैं जिरामें ठेकेदार का कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 8-अनुबन्ध गठन हेतु बुलाये गये समय तथा अनुबन्ध गठन करने के एक सप्ताह के अन्दर यदि कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया, तो निविदा/अनुबन्ध की धरोहर/जमानत धनराशि नियमानुसार जब्त की जायेगी।
- 9-अधोहस्ताक्षरकर्ता को एक या एक से अधिक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- 10-अनुबन्ध गठित करने पर शासनादेशों के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी लगाना आवश्यक है।
- 11-निर्माण कार्य की गुणवत्ता निम्न स्तर की पायी जाती है या त्रुटिपूर्ण माप के कारण ठेकेदार को अधिक भुगतान होने के कारण शासन को हानि भी पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उस हानि की धनराशि की वसूली शासनादेश संख्या 983/23-999-11/96 तो.नि.वि. के अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 12 मई, 1999 के अनुच्छेद (2) निहित प्रावधानों अनुसार की जायेगी।

(P.T.O.)

- 12-यदि शासन/उच्च अधिकारियों द्वारा किसी अपरिहार्य कारणवश निर्माण कार्य को रोकने के आदेश दिये जाते हैं तो ठेकेदार को उसी स्थिति में कार्य रोकना पड़ेगा तथा ठेकेदार केवल किये गये कार्य के भुगतान का दायेदार होगा। शेष कार्य हेतु ठेकेदार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- 13-उपरोक्त निर्माण कार्य निगम में उनके सापेक्ष उपलब्ध धनराशि के अनुसार ही कराये जायेंगे।
- 14-निविदा की तिथि को अवकाश होने की दशा में निविदा अगले कार्यदिवस को खोली जायेगी।
- 15-निविदा की दरें प्रतिशत में ही मान्य होगी, जो कि अंक एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से लिखा जाना अनिवार्य है।
- 16-कम संख्या (8) के कार्य हेतु विगत 3 वर्षों में उपरोक्त क्षमता का लिफ्ट लगाये जाने का अनुभव। अन्य शर्त लागू रहेंगी।
- 17-कम संख्या (9) के कार्य हेतु निविदाकार को निविदा के साथ (OEM) (Original Equipment Manufacture) द्वारा निविदाकार/फर्म के नाम जारी वैद्य ऑथोराइजेशन पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 18-कम संख्या (8) के कार्य हेतु सामग्री की आपूर्ति एवं स्थापना एफ0ओ0आर0 निगम मुख्यालय, ओक पार्क हाउस में निशुल्क की जानी होगी, जिसके लिए निविदादाता को कोई भी अन्य कर भाड़ा देय नहीं होगा। आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रेषित की जानी वाली दरों के अन्तर्गत बेस, चेन्ज ओवर तथा समस्त विद्युत सम्बन्धित फिटिंग इत्यादि का कार्य किया जाना होगा।
- 19-कम संख्या (9) के कार्य हेतु निविदा के तकनीकी भाग के साथ Quote किये गये जनरेटर की गैक तथा स्पेसीफिकेशन सम्बन्धी विवरण भी संलग्न किया जाना होगा।
- 20-कम संख्या (9) के कार्य हेतु यह आवश्यक नहीं है कि न्यूनतम दरें प्रेषित किये जाने वाले निविदादाता की निविदा स्वीकार हो। सफल निविदादाता का चयन सामग्री की स्पीसीफिकेशन की समिति सदस्यों की जाँच तथा आख्या उपरान्त किया जायेगा।
- 21-कम संख्या (9) के कार्य हेतु आपूर्ति किये जाने वाले जनरेटरों में न्यूनतम 5 वर्षों की वारंटी प्रदान किये जाना अनिवार्य होगा।
- 22-कम संख्या (9) के कार्य हेतु आपूर्ति किये जाने वाले जनरेटर इकोफ्रेंडली तथा साइलेन्ट होने चाहिए।

गताप्रबन्धक

कार्यालय कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड, नैनीताल
पत्रांक 118 / 10-नि0/21-22 दिनांक 6/7/2021

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-प्रबन्ध निदेशक, महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 2-सहायक अभियन्ता, नैनीताल/पिथौरागढ़/वम्पावत/बागेश्वर को शैड्यूल 'बी' तैयार करने हेतु प्रेषित।
- 3-सहायक अभियन्ता, कु0म0वि0नि0, अल्मोड़ा/उधम सिंह नगर को व्यापक प्रचार हेतु।
- 4-अधिशासी अभियन्ता, लो.नि.वि. प्रान्तीय खण्ड, नैनीताल/पिथौरागढ़/वम्पावत/बागेश्वर को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड में चरपा हेतु।
- 5-मुख्यालय नोटिस बोर्ड में चरपा हेतु।
- 6-अनुबन्ध पत्रावली हेतु।
- 7-कैशियर निर्माण खण्ड, निविदा विक्रय के समय निर्धारित प्रपत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही निविदा विक्रय किया जाना सुनिश्चित करें।
- 8-कम्प्यूटर कक्ष को वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।

महाप्रबन्धक